कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI
e_mail :- pwdtharali@gmail.com

पत्रांक 1152 / 36C   दिनांक 27/07/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली में लोल्टी कस्बीनगर मोटर मार्ग के विस्तार के निर्माण हेतु 0.188 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण। (Online No.FP/UK/ROD/32572/2018)

सन्दर्भः– फाईल सं0 8बी0/यू0सी0पी0/06/169/2020/एफ0सी0/2078 दिनांक 31.12.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि उक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव आपत्तियों के निराकरण हेतु इस खण्ड को वापस लौटाया गया था।

अतः निम्नलिखित आपत्तियो का पुनः निराकरण कर बिन्दुवार निम्वत है।

क्रम सं0	प्रस्ताव में कमिया	निराकरण
1	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून द्वारा प्रस्ताव में प्रारम्भ लगभग 1 किमी0 लम्बाई मे मार्ग पूर्व से निर्मित दिखाई दे रही है यदि इसमें कोई उल्लघंन हुआ है तो उसकी जानकारी प्रस्तुत की जाये, के सम्बन्ध में आप द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव के 01 किमी0 लम्बाई में वन अधिनियम का उल्लघंन नही हुआ है, जबकि प्रस्तावित संरेखण का लगभग 1 किमी0 लम्बाई में निर्मित मार्ग गूगल अर्थ में दिखाई दे रहा है, जो वन विभाग द्वारा बिना किसी स्वीकृति के निर्मित होना प्रतीत हो रहा है। इस सम्बन्ध में आप अपनी स्पष्ट आख्या एवं अभिलेख उपलब्ध कराये।	अवगत कराना है कि स्वीकृत मार्ग की लम्बाई 2 किमी0 है। जिसमें प्रथम किमी0 पूर्णत नाप भूमि मे है। इस सत्यापन वन भूमि प्रस्ताव के लैण्ड शेडयूल/बार चार्ट से भी किया जा सकता है। जिसको वर्ष 2018 में काटा गया है, गुगल मैप की हिस्ट्री से भी मिलान किया जा सकता है। जिस कारण यह गुगल अर्थ में निर्मित मार्ग दिखाई दे रहा है। दूसरे किमी0 में कुछ भाग में वन भूमि होने के कारण प्रस्ताव गठित किया गया है। इससे स्पष्ठ है कि किसी भी प्रकार से वन अधिनियम का उल्लघन नही किया गया है।
2	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून द्वारा मात्र 0188 हे0 क्षेत्र में 46 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। जिनमें अधिकतम ओक प्रजाति के है। के0एम0एल0 फाईल पर दर्शित जानकारी के अनुसार इन वृक्षों को बचा कर भी समंरेखण बनाया जा सकता है। के सम्बन्ध में आप द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग पर वर्तमान में पुनः संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त केवल 40 वृक्ष ही प्रभावित हो रहे है संरेखण में कोई भी बदलाव नही किया गया है उक्त संरेखण ही उपयुक्त है। जो भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रालय देहरादून के द्वारा चाही गयी सूचना के अनुरूप सही नही है। बिन्दु सं0 2 में आप द्वारा प्रस्तावित समरेखण में आ रहे वृक्षों को बचाकर भी मोटर मार्ग का निर्माण किया जा सकता है के सम्बन्ध में कोई सुस्पष्ट आख्या नही दी गयी है, वृक्षों को बचाकर भी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु सरेखण बनाया जा सकता है के सम्बन्ध में अपनी निरीक्षण टिप्पणी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ यह भी अवगत कराना है कि अपर प्रमुख वन	किमी0 02 में मार्ग का अधिकाश भाग नाप भूमि से होकर गुजर रहा है। नाप भूमि पूर्व में स्वीकृत समरेखण के अतिरिक्त किसी भी अन्य समंरेखण ग्राम वासियों की सहमती नही है। वृक्षों की सं0 में कमी आने का कारण वृक्षों का सूख जाना अथवा आपदा मे गिर जाना आदि हो सकता है। मार्ग के पूर्व में स्वीकृत समरेखण पर ही सीमांकन किया गया। संमरेखण मे कोई भी बदलाव नही किया गया है। मार्ग के संमरेखण में बांज के वृक्षो को बचाने के लिए समरेखण में परिवर्तन आवश्यक था परन्तु समस्त ग्राम वासियों द्वारा स्वीकृत समरेखण के अलावा किसी अन्य समंरेखण पर सहमती नही दी गयी है।

Scanned with OKEN Scanner

	संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र सं02847/ दिनांक 16.06.2021 से वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी को उक्त प्रकरणं में स्थलीय निरीक्षण हेतु निर्देश दिये गये जिसके क्रम में वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी के द्वारा पूर्व में स्थलीय निरीक्षण किया गया है जिसमें उनके द्वारा संरेखण में आ रहे बांज वृक्षों को बचाकर मार्ग के निर्माण किये जाने हेतु कहा गया है, परन्तु संरेखण को परिवर्तन किये बगैर जिसमें बांज वृक्षों का बचाया जा सके या बिना औचित्य पूर्ण आख्या के ही प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है एवं पूर्व में 46 वृक्ष प्रभावित हो रहे है पुनः संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त केवल 40 वृक्ष प्रभावित हो रहे है जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि समरेखण में बदलाव किया गया है। चयनित समरेखण जिसमें आर0सी0सी0 पिलरों से सीमांकन किया गया है के जी0पी0एस0 कोडिनेट इस कार्यालय को उपलब्ध कराये ताकि पूर्व संरेखण का मिलान करने पर स्पष्ट हो कि आपके द्वारा समरेखण में बदलाव किया गया है या नही।	

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0 लो0नि0वि0
थराली चमोली

पत्रांक /36 सी0 दिनांकित / /

प्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता नि0ख0, लो0नि0वि0 थराली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रतिलिपिः– खण्डीय अमीन/कनिष्ठ अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0 लो0नि0वि0
थराली चमोली।

Scanned with OKEN Scanner

सहमती पत्र

आज दिनांक 02.06.2024 को लो0नि0वि0 द्वारा लोल्टी करबीनगर विस्तार का पुनः समरेखण करने का प्रयास किया गया परन्तु हम समस्त ग्रामवासी पूर्व स्वीकृत समरेखण के अलावा किसी अन्य समरेखण हेतु अपनी जमीन देने हेतु सहमत नही है, पूर्व में भी हमारे द्वारा मार्ग स्वीकृत के अनेक वर्षो तक सहमती एवं प्रयास करने बाद अत्यन्त कठिनता से ग्राम वासीयों को समझाकर सहमती पत्र तैयार किया है।

अतः वर्तमान में किसी अन्य समरेखण हेतु सहमत नही है।

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत करबीनगर
वि० ख० दशोली (चमोली)

भूस्वामीयों के हस्ताक्षर

बलवीर राम
नारायण राम
सुरेन्द्र राम
Surendra Ram
दिगम्बर प्रसाद
रघुवीर राम
भीम राम
प्रताप राम
कुन्दन राम
जवाहर राम
मोतिमा देवी
इन्द्रा देवी
Kundan Ram
Anand Ram

Scanned with OKEN Scanner